कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 57 / दो–12–11 / 2014 बैतूल दिनांक 25/04/2020

मानिनीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में रजिस्ट्री के पूर्व आदेश क्रमांक क्यू.–5 दिनांक 25.03.2020 एवं वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की मार्गदर्शन संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 20.04.2020 के अनुक्रम में रजिस्ट्री सर्कुलर क्र.क्यू.–9 दिनॉक 24.04.2020 के आलोक में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है –

1– समस्त न्यायिक अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि सुनवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में स्वयं उनके एवं न्यायालयीन स्टाफ के अतिरिक्त अधिवक्ता, पक्षकार अथवा अन्य कोई स्टेकहोल्डर (Stakeholders) भौतिक रूप से उपस्थित न रहे।

2– कार्यालय विविध आदेश क्र. 35 / दो–12–11 / 2014, दिनॉक 18.03.2020 में दिये गये निर्देश बिन्दु क्र. 2 एवं 3 तथा कार्यालय के विविध आदेश क्र. 50 / दो–12–11 / 2014, दिनॉक 14.04.2020, जिसके द्वारा दिनॉक 03.05.2020 तक न्यायालय परिसर में सामान्य रूप से प्रवेश प्रतिबंधित करते हुये मात्र एक ही प्रवेश द्वार को न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु उपयोग किये जाने तथा मात्र ड्यूटीरत कर्मचारी / अधिकारीगण, रिमाण्ड, जमानत आदि कार्यवाही संबंधी पुलिस अधिकारी / कर्मचारी, अधिवक्ता एवं उनसे संबंधित व्यक्ति तथा जिन्हें विशेष रूप से जिला न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एवं प्रभारी अधिकारी के द्वारा विशिष्टतः अनुमति दी गयी है, वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के प्रवेश द्वार पर एक रजिस्टर संधारित किया जावे, जिसमें न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, पदनाम एवं मोबाईल नंबर का उल्लेख किया जावे एवं संबंधित का हस्ताक्षर भी कराया जावे। उक्त कार्य न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर ड्यूटीरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किया जावे एवं नायब नाजिर, नजारत अनुभाग, बैतूल / मुलताई / भैंसदेही / आमला के द्वारा पर्यवेक्षण किया जावे।

3– कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी ज्ञापन / सर्कुलर / विविध आदेश के अनुक्रम में न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर ड्यूटीरत कर्मचारी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेनेटाईजर से हाथ धुलाने के पश्चात् ही न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जावे एवं लॉकडाउन

Scanned by CamScanner

अवधि में ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारीगण ड्यूटी के दौरान समय–समय पर अपना हाथ साबुन से धोते रहे अथवा सेनेटाईज करते रहे।

4– जिला नाजिर/सेल अमीन नजारत अनुभाग बैतूल, नायब नाजिर/सेल अमीन, नजारत अनुभाग, मुलताई तथा नायब नाजिर, नजारत अनुभाग भैंसदेही/आमला को निर्देशित किया जाता है कि लॉकडाउन अवधि में न्यायालयीन कार्य हेतु न्यायालय परिसर में दोपहर 02:30 बजे से सायं 06:00 बजे अथवा न्यायालयीन कार्य पूर्ण होने तक, जो पश्चात्‌वर्ती हो, उपस्थित रहकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में न्यायालय परिसर में सामाजिक दूरी संबंधी दिशा–निर्देश एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करावेंगे।

5– वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल, मुलताई, भैंसदेही एवं आमला को निर्देशित किया जाता है कि लॉकडाउन की अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की आवश्यकता अनुसार न्यायालय परिसर की सुरक्षा, न्यायालय परिसर के मुख्य गेट, वी.सी.कक्ष तथा न्यायालय कक्ष (जो न्यायालय कक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित किये गये हैं), में ड्यूटी पर्याप्त संख्या में लगावे।

6– वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल, मुलताई, भैंसदेही एवं आमला को निर्देशित किया जाता है कि वी.सी. हेतु रिमोट प्वांइट के रूप में स्थापित सर्वर रूम के समक्ष पक्षकार/अधिवक्ता/अन्य स्टेकहोल्डर के बैठने हेतु सामाजिक दूरी संबंधित निर्देश का पालन करते हुये पर्याप्त दूरी पर कुर्सियॉ जिला नाजिर/नायब नाजिर के माध्यम से रखवाने की व्यवस्था करें।

7– संबंधित जन को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु रिमोट पाईट (सर्वर रूम) में एक समय में एक अधिवक्ता अथवा/और उनके वरिष्ठ अधिवक्ता को ही प्रवेश दिया जावे/प्रवेश करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

<u>संलग्न</u> –
1. रजिस्ट्री सर्कुलर क्र.क्यू–9 दिनॉक 24.04.2020

पृष्ठां. क....................../दो–12–11/2014 बैतूल,दिनांक /04/2020

प्रतिलिपि–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल।
3. श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी बैतूल।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति. अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल/मुलताई/भैसदेही

Scanned by CamScanner

श्री कमलेश इटावदिया/श्री अनुज त्यागी/श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी/श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी/श्री राजकुमार गुप्ता/श्री ए.के. दंदेलिया/श्री हरप्रसाद बंशकार/श्री सुशील कमार जोशी/श्री कृष्णदास महार/श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी

5. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।
6 श्री दीनानाथ वाड़िवा, जिला रजिस्ट्रार, बैतूल।
7. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल/मुलताई/भैसदेही
   श्रीमती सुनीता ताराम/श्रीमती रंजीताराव सोलंकी/श्रीमती मंजूषा तेकाम
8. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला।
   सुश्री श्वेता खरे/श्रीमती कमला गौतम/श्री विनोद अहिरवार/श्री सिद्धार्थ शर्मा
9. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही।
11. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विविध आदेश के निर्देशों का पालन संबंधित जिला नाजिर/नायब नाजिर/सेल अमीन से कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
12. जिला कलेक्टर, बैतूल।
13. पुलिस अधीक्षक, बैतूल।
14. लोक अभियोजक/अति.लोक अभियोजक बैतूल/मुलताई/भैंसदेही ।
15. जिला लोक अभियोजन अधिकारी बैतूल ।
16. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही की ओर सर्कुलर में वर्णित निर्देशों का पालन करने हेतु अधिवक्ता संघ के सदस्यों के मध्य परिचालन एवं पालन कराने के निर्देश हेतु प्रेषित।
17. सिस्टम ऑफिसर, बैतूल की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की प्रति संबंधितों के मेल आई.डी. पर प्रेषित की जावे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.) 25-04-2020

Scanned by CamScanner

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CIRCULAR

No. Q-9 Jabalpur dated 24th April 2020

To,

All District and Sessions Judges,
State of Madhya Pradesh,

Sub.:COVID-19 – Nationwide lock down – Directions of Hon'ble the Chief Justice.

Ref.:Order No.Q-5 dated 25.03.2020 and Video Conferencing guideline for the District Courts during the lock down period dated 20.04.2020.

Kindly refer to the above Circular and Guidelines by which it was directed that hearing of the cases, in lock down period, ought to be only through Video Conferencing and restricted to the cases only of **urgent nature**, which is to be decided by the concerned District Judge or in case of Family Courts matter, concerned Principal Judge of Family Court. However recently it has been experienced that at many places in the state of Madhya Pradesh Court Rooms are being opened for hearing which are overcrowded and the direction of social distancing is not fallowed. That is not only in violation of the directions but also dangerous for the society at large.

The aforesaid state of affairs is contravention of the guidelines and directions issued by the High Court from time to time. Hon'ble the Chief Justice has expressed deep concern over it and keeping in mind all the situations his Lordship has been pleased to direct that the physical

Scanned by CamScanner

presence of Advocates, Litigants and all the stakeholders should strictly be prohibit in those court rooms where presiding officer and staffs are discharging their duties.

It is further directed that during the lockdown period only Advocates, accused and necessary parties shall be permitted to enter into the Court premises and as per requirement he/she will be authorized to take part, one by one, in the hearing through video conferencing. Meaning thereby that only one Advocate or/ and his senior advocate shall be permitted to enter into the V.C. room.

At the time of hearing through V.C., in the V.C. room of the Court campus, all precautionary measures shall be taken as directed by the High Court of M.P. and Central Government as well as by the State Government from time to time. Moreover the Advocates should be encouraged to conduct V.C. from their home or office and avoid any kind of hazard during lockdown period of COVID-19.

BY ORDERS OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

24.4.2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

Scanned by CamScanner